

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाथल जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4307/2019 सुरेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4307/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष जिले में वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों को दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मददेनजर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि ताजपुरा/कंचनपुर जिला धौलपुर या राउमावि नदबई/कंथवाडा जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनके प्रकरण पर विचार किया जा सके। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों एवं आधारों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार शर्मा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री सुरेश कुमार शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/सुरेश/4307/2019 दिनांक: 20.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर/भरतपुर संभाग, जोधपुर/भरतपुर।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/भरतपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाड़मेर/भरतपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री सुरेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)